


केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड

(मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त संगठन)







सं.सीबीएसई/जेएएस(A&L)2014/763-67

कार्यालय आदेश

वित्त समिति की अपनी बैठक दिनांक 31.07.2014 देखें मद सं. XVI में की गई सिफ़ारिशों पर, बोर्ड के शासी निकाय ने अपनी दिनांक 06.08.2014 को हुई बैठक में अधीक्षक स्तर तक के आवासीय लैंडलाइन/मोबाइल/आवासीय ब्रॉड कनैक्शन की निम्नानुसार शासी निकाय बैठक की तिथि से प्रतिपूर्ति प्रभार की सुविधा के विस्तार की स्वीकृति प्रदान की है।

अन्भाग अधिकारी/अधीक्षक/निजी सचिव/व्यैक्तिक सहायक/समकक्ष

रु. 500/- प्रतिमाह

यह सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

हस्ता./-(एस पी राणा) संयुक्त सचिव (प्रशा. एवं विधि)

दिनांक: 01.10.2014

वितरण:

- 1. अध्यक्ष के निजी सचिव, केमाशिबो, दिल्ली
- 2. सभी विभागाध्यक्षों के निजी सचिव/व्यैक्तिक सहायक, केमाशिबो, दिल्ली
- 3. सभी क्षेत्रीय अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय, केमाशिबो, इलाहाबाद, दिल्ली, चेन्नई, पंचकुला, अजमेर, ग्वाहटी, भ्वनेश्वर, पटना, देहरादून एवं त्रिवेन्द्रम
- 4. शाखा अधिकारी के समकक्ष सभी अधिकारीगण
- 5. स्क्रैप फ़ाइल/नोटिस बोर्ड



